कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 4153/14–10, अलीगढः दिनांकः अप्रैल, 19 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़–मथुरा रोड़ (एन0एच0–80) किमी0 05 दांयी पटरी खसरा सं0–30 ग्राम दौलताबाद, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भ– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का पत्रांक पी–98/81–2–2019–800(144)/2019 दिनांक 19.12.2019, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1240/11–सी–FP/UP/Others/26736/2017 दिनांक 20.12.2019, वरिष्ठ प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, मुरादाबाद का पत्र दिनांक 15.09.2021 एवं आपका पत्रांक 1493/14–1 दिनांक 11.11.2021

महोदया,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयीं आपत्तियों एवं आपके संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का समेकित रूप से निम्न प्रकार निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेख/सूचना 04 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित है–

क0सं0	Objection	Reply
1	प्रस्ताव के भाग–2, भाग–3 एवं भाग–4 में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत संस्तुति नहीं की गयी है।	प्रस्ताव की कार्योपरान्त स्वीकृति (Expost Facto) के अन्तर्गत संस्तुति कर, Letter of Recommendation की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं है कि उल्लंघन कब से किया गया है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.09.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण, कर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन वर्ष 2013 में अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन), अलीगढ के पत्र सं0 1284/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/13 दिनांक 25.11.2013 द्वारा निर्गत अनुमति के आधार पर किया गया है। उक्त हेतु साक्ष्य संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**
3	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 54, 56 पर प्रयोक्ता का हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 54 व 56 पर रक्षित प्रमाण पत्रों पर प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर करा दिये गये हैं। **(संलग्नक–3 व 4)**
4	पृष्ठ सं0 55 पर रक्षित Site Inspection Report के मध्य बिन्दु–ए और बी के संबंध में कथन रिक्त किया गया है।	पृष्ठ सं0 55 पर रक्षित Site Inspection Report के मध्य बिन्दु–ए और बी के संबंध में कथन अंकित कर, Site Inspection Report की प्रति, प्रमाणित करके संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–5)**
5	उल्लंघन के संबंध में Inspecting Officer के जांच रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया गया है।	उल्लंघन के संबंध में Inspecting Officer की जांच रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–6)**
6	पृष्ठ सं0 57 पर रक्षित वन संरक्षक, अलीगढ के पत्र दिनांक 01.10.2019 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी को नोटिस दी गयी है कि 60 दिनों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही किये जाने का कथन किया गया है। इस संबंध मे अवगत कराया जाना है कि उक्त अवधि समाप्त हो गयी है परंतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 60 दिनों में अपना पक्ष रखा गया है कि नहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है।	पृष्ठ सं0 57 पर रक्षित वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 01.10.2019 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को दिये गये नोटिस का उत्तर 60 दिनों में नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 15.09.2021 द्वारा निर्गत नोटिस में अपना पक्ष प्रेषित किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–6)**

7	प्रयोक्ता एजेंसी के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा 32/33 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाये जाने का कथन किया गया है। विभिन्न धाराओं में कार्यवाही करते हुए, रेंज केस इजरा किया गया है परंतु किसी तरह का प्रतिकर लिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता एजेंसी के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा 32/33 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप, विभिन्न धाराओं में इजरा केस को मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रू0 1000.00 के प्रतिकर से दण्डित कर, प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**
8	पृष्ठ सं0 73 पर रक्षित ले–आउट प्लान की पठनीय प्रति अपेक्षित है ?	ले–आउट प्लान की पठनीय संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–5)**
9	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद उल्लंघन किया गया अथवा प्रस्तुत करने से पहले ?	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव प्रेषण से पहले उल्लंघन किया गया है एवं उल्लंघन के पश्चात् Expost Facto अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

4/5/04

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक /14–10 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कार्पो0 लिमिटेड, मुराद्राबाद मण्डल कार्यालय, ख्वाजा फ़िलिंग स्टेशन के पीछे, एन0एच0–24, पकवाड़ा, मुरादाबाद–244102। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।